न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी,-याचिकाकर्ता।

बनाम:

आईएनडी कौर और अन्य,-प्रतिवादी।

नागरिक संशोधन. नहीं। 1985 का 933

2 सितंबर 1985.

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का चतुर्थ)-धारा 92-ए और बी-धारा 92(ए) के तहत मृतक के उत्तराधिकारियों को मुआवजा दिया गया-अधिकरण का बाद में उत्तराधिकारियों को अतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला-धारा 92(के तहत पहले से ही भुगतान किया गया मुआवजा) ए)-क्या दिए गए कुल मुआवजे के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

माना गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 92-बी की उप-धारा 3 (ए) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि पहले उल्लिखित मुआवजे की राशि दूसरे उल्लिखित मुआवजे की राशि से कम है, तो उत्तरदायी व्यक्ति को यह करना होगा। पहले उल्लेखित मुआवज़े के अलावा दूसरे उल्लेखित मुआवज़े का केवल उतना ही भुगतान करें जो उस राशि के बराबर हो जो पहले उल्लेखित मुआवज़े से अधिक हो। अध्याय VII-ए के संबंध में 'उद्देश्य और कारण' यह भी प्रदान करते हैं कि "गलत कार्य या उसकी ओर से लापरवाही के आधार पर मालिक द्वारा देय मुआवजा इस अध्याय के तहत उसे पहले से भुगतान किए गए मुआवजे से कम कर दिया जाएगा"। इस मामले को देखते हुए अधिनियम की धारा 92 (ए) के तहत पहले से भुगतान किया गया मुआवजा मृतक के उत्तराधिकारियों को देय कुल मुआवजे के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका, धारा 115 सी.पी.सी. के साथ पठित। प्रार्थना करते हुए कि न्याय के हित में 19 नवंबर, 1984 के आदेश को रद्द कर दिया जाए, याचिकाकर्ता के आवेदन की अनुमति दी जाए और 1 जून, 1984 के फैसले को संशोधित किया जाए और इस प्रकार की राशि रुपये की सीमा तक जब्त की जाए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 92-ए के तहत 7,500 रुपये याचिकाकर्ता को वापस करने का आदेश दिया जाए।

(1) 10 जून 1982 को हुई दुर्घटना में मारे गए मृतक सोहरि सिंह के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से एक दावा याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में संशोधन किया गया था। और धारा 92-ए जोड़ी गई जो 1 अक्टूबर 1982 से लागू हुई। उक्त प्रावधान के मद्देनजर, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने रुपये की राशि की अनुमति दी। 3 फरवरी, 1984 के आदेश के तहत 'कोई गलती नहीं' के सिद्धांत पर मुआवजे के रूप में 7,500 रुपये दिए गए। यह राशि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा विधिवत जमा की गई थी। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। अंततः, दावा याचिका पर 1 जून, 1984 को निर्णय लिया गया और रु. मुआवजे के तौर पर 48,000 रुपये दिए गए। निष्पादन कार्यवाही में, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने रुपये के समायोजन के लिए एक आवेदन किया। कुल पुरस्कार में से 7,500 रु. 48,000. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की ओर से दायर इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया. इसी से असंतुष्ट होकर कंपनी ने कोर्ट में यह याचिका दायर की है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि धारा 92-ए और धारा 92-बी को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि धारा 92-ए के तहत "कोई गलती नहीं" के सिद्धांत पर पहले भुगतान की गई राशि है। दावे के विरुद्ध समायोजित किया जाना है जिसे अंततः ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमति दी जाती है जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जाए।

(3) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क में ताकत मिलती है। धारा 92-बी इस प्रकार है: -

*

"92-बी. मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए मुआवजे का दावा करने के अन्य अधिकार के संबंध में प्रावधान:- (1) दावा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में धारा 92-ए के तहत मुआवजा किसी अन्य प्रावधान के तहत मुआवजे का दावा करने के किसी भी अन्य अधिकार (इसके बाद इस खंड में गलती के सिद्धांत पर अधिकार के रूप में संदर्भित) के अतिरिक्त इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून का होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में धारा 92-ए के तहत मुआवजे के दावे का यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाएगा और जहां धारा 92 के तहत ऐसी मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में मुआवजे का दावा किया गया है- और इसमें भी गलती के सिद्धांत पर किसी भी अधिकार का अनुसरण करते हुए, धारा 92-ए के तहत मुआवजे के दावे का निपटान पहले स्थान पर पूर्वोक्त तरीके से किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में, धारा 92-ए के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अधिकार के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। गलती के सिद्धांत पर, उत्तरदायी व्यक्ति प्रथम-उल्लेखित मुआवजे का भुगतान करेगा और-

(ए) यदि पहले उल्लेखित मुआवजे की राशि "दूसरे उल्लेखित मुआवजे की राशि से कम है, तो वह (पहले उल्लेखित मुआवजे के अलावा) दूसरे उल्लेखित मुआवजे का केवल उतना ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना बराबर हो उस राशि तक जिससे यह प्रथम-उल्लेखित मुआवज़े से अधिक है;

(बी) यदि पहले-उल्लेखित मुआवजे की राशि दूसरे-उल्लेखित मुआवजे की राशि के बराबर या उससे कम है, तो वह दूसरे-उल्लेखित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

(4) उप-उपधारा) धारा 3 92-ब्यूक्लियरलीवी के 3(ए) में प्रावधान है कि यदि पहले उल्लिखित मुआवजे की राशि दूसरे उल्लिखित मुआवजे की राशि से कम है, तो उत्तरदायी व्यक्ति को पहले उल्लिखित मुआवजे के अतिरिक्त भुगतान करना होगा मुआवज़ा केवल दूसरे उल्लेखित मुआवज़े का उतना ही होगा जितना उस राशि के बराबर हो जो पहले उल्लेखित मुआवज़े से अधिक हो। इस प्रकार एश्योरेंस कंपनी को रुपये की राशि जमा करनी थी। 48,000 का समायोजन इसके द्वारा पहले भुगतान की गई राशि अर्थात रु. 7,500. प्रतिवादी के वकील की यह दलील कि ये दो अलग-अलग पुरस्कार हैं, कोई बल नहीं है।

(5) इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदालत क़ानून के प्रावधान की व्याख्या के लिए "उद्देश्यों और कारणों" की सहायता ले सकती है और इसलिए, उस पर गौर करना फायदेमंद होगा। उसमें भी • यह प्रावधान किया गया है कि ''किसी मालिक द्वारा देय मुआवजे के आधार पर। उसकी ओर से गलत कार्य या लापरवाही के लिए इस अध्याय के तहत उसके द्वारा पहले से भुगतान किए गए मुआवजे से कम किया जाएगा "यह अध्याय" इसमें अध्याय VII-ए को संदर्भित करता है। धारा 92-ए और धारा 92-बी इस नए अध्याय VII-ए के अंतर्गत हैं। इस प्रकार मामले के समग्र दृष्टिकोण पर विद्वान न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण गलत और अवैध था। कंपनी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 92-ए के तहत पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करने की हकदार है।

(6) नतीजतन, याचिका सफल हो जाती है, आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया जाता है और रुपये की राशि को समायोजित करने के लिए आवेदन किया जाता है। कुल पुरस्कार से 7,500 रु. रु. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के 48,000 की अनुमति है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
कुरुक्षेत्र